



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर

(जिला भू अर्जन शाखा)

दूरभाष सं० :-06432-232680

फैक्स :-06432-232967

ई-मेल :-deoghardlao@gmail.com

झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली-2015 के तहत एस०आई०ए० प्रतिवेदन का सारांश

ज्ञापांक- IV-53/2017/.३३१./भू अ०

दिनांक- 16/11/17...


- परियोजना का नाम :- मोहनपुर से हंसडीहा रेल लाईन निर्माण।
- एस०आई०ए० करने वाले संस्थान का नाम :- AISD, Ranchi.
- परियोजना समन्वयक :- श्रीमती अनिता टोपनो एवं दल।
- प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण, अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार एवं परियोजना क्षेत्र और एस० आई० ए० द्वारा आच्छादित प्रभावित क्षेत्र :-

क्र० सं०	मौजा का नाम	थाना संख्या	अंचल	कुल रकवा (एकड़ में) रैयती भूमि	क्र० सं०	मौजा का नाम	थाना संख्या	अंचल	कुल रकवा (एकड़ में) रैयती भूमि
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	भगवानपुर	864	मोहनपुर	15.721	12	बरसाती हाट	805	मोहनपुर	3.849
2	चिहूंटिया	866	मोहनपुर	11.671	13	किता रामसागर	802	मोहनपुर	0.817
3	छाताकुरुम	812	मोहनपुर	6.976	14	खपचुआ नावापुरुवा	875	मोहनपुर	7.167
4	खड़ियाडीह	797	मोहनपुर	13.355	15	बुतुरुवाडीह	800	मोहनपुर	6.531
5	कनियारी पोखर	865	मोहनपुर	4.101	16	अराजी दुम्माबाद	809	मोहनपुर	0.614
6	अराजी बुतुरुआडीह	801	मोहनपुर	5.864	17	हिण्डोलावरण	811	मोहनपुर	4.155
7	अराजी रामसागर	803	मोहनपुर	2.092	18	तसरिया	808	मोहनपुर	0.064
8	सिंहरायडीह	804	मोहनपुर	2.528	19	घुटिया दुंदिया	877	मोहनपुर	7.696
9	चंदायन	806	मोहनपुर	7.112	20	नागपुर	893	मोहनपुर	0.630
10	नावापुरुवा	889	मोहनपुर	10.852	21	रामपुर	892	मोहनपुर	9.338
11	बुढ़वापुरा	888	मोहनपुर	8.083					

- एस०आई०ए० प्रतिवेदन में सर्वेक्षणकर्ता तथा समन्वयक द्वारा उक्त प्रस्तावित परियोजना के लिए दिये गये उपसंहार निम्न प्रकार है :-

- प्रस्तावित परियोजना रेल लाईन निर्माण से संबंधित है। उक्त परियोजना से लोगों के आवगमन में काफी सुविधा होगी, जिसके लिए भूमि अर्जन, उचित मुआवजा राशि देने के साथ किया जा सकता है।

- मोहनपुर से हसंडीहा रेल लाईन निर्माण परियोजना से लगभग 200 परिवार प्रभावित होंगे। प्रभावित भूमि किसी भी प्रकार की संरचना अवस्थित नहीं है। प्रभावित भूमि पर 509 वृक्ष हैं, जिसके लिए समुचित मुआवजा का प्रावधान किया गया है।
- यह एक रेखीय परियोजना है तथा इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। सभी प्रभावित परिवारों की सभी आवश्यकताओं को प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।
- प्रभावित परिवारों की आंशिक भूमि ही ली जा रही है और परिवार की आय पर माप योग्य प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आजीविका का प्रावधान नहीं किया गया है।
- सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एस०आई०ए०) अध्ययन प्रतिवेदन देवघर जिला के वेबसाइट www.deoghar.nic.in एवं जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में देखा जा सकता है।



10/11/17
उपायुक्त-सह-समाहर्ता,
देवघर।

ज्ञापांक 821/भू अ०, देवघर दिनांक-10 वीं, नवम्बर 2017 ई०।

प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु सी०डी० सहित प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।


10/11/17
उपायुक्त-सह-समाहर्ता,
देवघर।